APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत ...उपखण्ड अधिकारी... मुकाम ...कोटा...

...संकल्प प्रताप सिंह... बनाम ...सरकार...

किस्म मुकदमा ...L.R. Act. 136... नं. ...62... सन् ...2025...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/7/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धांरा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी संकल्प प्रताप सिंह की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 18/7/2025 को पेश हो।	
18/7/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी संकल्प प्रताप सिंह की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की दादी श्रीमति सरोज सिंह धर्मपत्नी स्वर्गीय रविन्द्र प्रताप सिंह जाति जाट निवासी मकान नम्बर– 1–सी–7 कॉमर्स कोलेज रोड़, तलवण्डी कोटा (राज०) ने अपनी समस्त सम्पत्ति एवं काश्त की भूमि की वसीयत दिनांक 21.08.2023 को प्रार्थी एवं अस्मित चौधरी, दोनो पोत्रों के नाम की थी, श्रीमति सरोज सिंह की मृत्यु दिनांक 03.12.2023 को हो जाने के बाद खसरा नम्बर–113/1 रकबा 0.56 हैक्टयर मे 1/3 हिस्सा तथा खसरा नम्बर–113 रकबा 0.68 हैक्टयर सम्पूर्ण वाके नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे प्रार्थी के नाम (इन्तकाल) खाते दर्ज करने का आवेदन बाद रिमाण्ड आदेश दिनांक 07.10.2024 माननीय जिला कलेक्टर कोटा के अनुरूप किया गया । बाद जांच न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा ने प्रकरण संख्या– 30/2024 मे निर्णय दिनांक 02.04.2025 को पारित किया, तथा पेरा नम्बर –4 मे निम्न फाईडिंग दी, श्रीमति सरोज सिंह पत्नी रविन्द्र प्रताप सिंह जाति जाट की अन्तिम वसीयत है. वसीयत कर्ता को प्रार्थी के पक्ष मे वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था, हिन्दू उत्तराधिकार कानून तथा धारा 39 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति की व्यवस्था जर्ये वसीयत कर सकता है। प्रकरण मे अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कोई उज्र पेश नही किया गयां है। जबकि प्रार्थी ने स्वयं अपनी साक्ष्य से वसीयत के गवाह की साक्ष्य से अपने प्रार्थना–पत्र को पूर्णतया साबित किया है । इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण प्रार्थीगणों के नाम दजर्ज किया जो। पेरा नम्बर–5 मे– "प्रार्थीगण ने वसीयत के सम्बन्ध मे विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओं को अपने पक्ष मे बखुबी साबित किया है । प्रार्थना– पत्र स्वीकार योग्य है।" श्रीमति सरोज सिंह जी की वसीयत उनके पोत्रों के नाम कमशः I–अस्मित चौधरी, II–संकल्प प्रताप सिंह के नाम की थी, एवं माननीय न्यायालय द्वारा भी निर्णय वसीयत दिनांक 21.08.2023 को मानते हुऐ नामान्तरकरण खोलने का निर्णय प्रदान किया था, सहवन टाईपिंग मिस्टेक से प्रार्थना –पत्र मे संकल्प प्रताप सिंह की जगह संकल्प चौधरी टाईप हो गया, और निर्णय मे प्रार्थी का नाम वसीयत के अनुसार नामान्तरकरण खोलने का निर्णय हो गया, जो तथ्यों का आदेश मे लेखन या गंणित सम्बन्धि भूल या किसी आकसिमिक भूल या दोष से हुई गलतियों मे से एक है । जिसे न्यायालय स्वयं प्रेरणा से या पक्षकारों मे से किसी के आवेदन पर किसी भी समय दुरूस्त की जा सकती है । वांछित नाम शुद्धि से किसी भी पक्षकार के अधिकार अथवा स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ रहा है। त्रुटि सद्भाविक है। तहसील कार्यालय मे प्रस्तुत प्रार्थी के एक अन्तिम प्रार्थना–पत्र मे, प्रत्येक स्थान पर प्रार्थी का नाम संकल्प	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रताप सिंह ही लिखा हुआ है, परन्तु उसके केवल हस्ताक्षर अनुभाग में त्रुटि वश प्रार्थी का नाम संकल्प चौधरी टाईप हो गया है, जो कि मात्र एक टंकण त्रुटि है, उक्त त्रुटि सिर्फ उसी स्थान पर है, अन्य सभी अभिलेखों मे नाम पूर्णतः सही दर्ज है । जिसे न्याय हित मे संशोधित किये जाने में कोई कानूनी अड़चन नही है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत विनय, प्रार्थना है कि निर्णय मे प्रार्थी के आवेदन मे गलत नाम टाईप हो जाने से वसीयत दिनांक 21.08.2023 के विपरीत आदेश मे संकल्प चौधरी हो गया है, जो संकल्प प्रताप सिंह नाम की शुद्धि की जावे, तदनुसार नामान्तरकरण नम्बर–849 दिनांक 21.04.2025 मे खसरा नम्बर–113/1 रकबा में कम–4 पर संकल्प चौधरी पुत्र विशाल प्रताप सिंह की जगह संकल्प प्रताप सिह पुत्र विशाल प्रताप सिंह एवं खसरा नम्बर–113 की कन–2 पर संकल्प चौधरी पुत्र विशाल प्रताप सिंह की जगह नाम संकल्प प्रताप सिंह पुत्र विशाल प्रताप सिंह दर्ज किये जाने के शुद्धि के आदेश पारित किये जावें।

प्रार्थी की ओर से अपने रजिस्टर्ड वसीयतमाना, तहसीलदार लाडपुरा(भू–अभि0) लाडपुरा द्वारा पटवारी हल्का को वसीयत पत्र की जॉच के सम्बंध में प्रेषित पत्र, माननीय जिला कलेक्टर कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2024 की प्रति, न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.2025 की प्रति, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड की प्रति पेश की है।

पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज वसीयत नामा, माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वार कथन किया गया है कि न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पारित निर्णय में प्रार्थी का गलत नाम टाईप हो जाने से वसीयत दिनांक 21.08.2023 के विपरीत आदेश में संकल्प चौधरी हो गया है, जो संकल्प प्रताप सिंह किया जावे क्योंकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम संकल्प प्रताप सिंह है। बाद अवलोकन वसीयतनामा दिनांक 21.08.2023 यह तथ्य स्पष्ट है कि श्रीमति सरोज सिंह पत्नी श्री रविन्द्र प्रताप सिंह द्वारा आलेखित वसीयतनामा में प्रार्थी का नाम संकल्प प्रताप सिंह दर्ज है। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2024 में भी प्रार्थी का नाम संकल्प प्रताप सिंह आत्मज विशाल प्रताप सिंह ही है। माननीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में अपीलाण्ट के पक्ष में आलेखित वसीयत का परीक्षण करते हुये निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया गया था तत्पश्चात न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 30/2024 दर्ज कर वसीयत नामा दिनांक 21.08.2023 के आधार पर निर्णय पारित किया गया। परन्तु तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.2025 में सहवन से प्रार्थी का नाम संकल्प प्रताप सिंह के स्थान पर संकल्प चौधरी दर्ज हो गया हैं जो लिपिकीय त्रुटि है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड में भी प्रार्थी का नाम संकल्प प्रताप सिंह ही दर्ज है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी संकल्प प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नयानोहरा पटवारी हल्का नयानोहरा में स्थित भूमि खाता संख्या नया 150 पुराना 149 के खसरा नम्बर 113 की रकबा 0.68 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम एवं खाता संख्या नया 113 पुराना 116 के खसरा नं0 113/1 रकबा 0.56 हैक्टयर किस्म नहरी प्रथम के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम संकल्प चौधरी पुत्र विशाल प्रताप सिंह के स्थान पर संकल्प प्रताप सिंह पुत्र विशाल प्रताप सिंह दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 18/7/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी कोटा